भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5054
01 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जलकृषि पार्क

5054. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:
श्री ज्ञानेश्वर पाटील:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत अब तक राज्यवार कितने जलकृषि पार्क स्थापित किए गए हैं;

(ख) पीएमएमएसवाई के अंतर्गत महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली तथा मध्य प्रदेश में स्थापित और स्थापना के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है;

(ग) महाराष्ट्र में पीएमएमएसवाई से कितने एमएसएमई लाभान्वित हुए हैं;

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान पीएमएमएसवाई के अंतर्गत आबंटित, संवितरित और उपयोग की गई निधि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान पीएमएमएसवाई के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन किया गया हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत 682.60 करोड़ रुपए की कुल लागत से 11 एकीकृत एक्वा पार्कों के विकास के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पीएमएमएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत एकीकृत एक्वा पार्कों का राज्यवार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने पीएमएमएसवाई के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार के 1447.67 करोड़ रुपये के मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें 544.27 करोड़ रुपये केंद्रीय अंश है। स्वीकृत की गई प्रमुख परियोजना गतिविधियों में शामिल हैं; फिश ब्रूड बैंकों, हैचरी, अंतर्देशीय जल कृषि, केज कल्चर, री-सर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस), बायोफ्लोक टैंक, बायोफ्लोक फिश कल्चर, फिश फ़ीड मिलें /संयंत्र, डीप सी फिशिंग वेसेल्स, मौजूदा फिशिंग वेसेल्स का उन्नयन, ओरनामेन्टल फिशरीज़ इकाइयाँ, रिक्रीऐशनल फिशरीस, सी वीड कल्टिवेशन, डिसीज़ डायग्नोस्टिक सेंटर, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएँ और आरटिफ़िशियल रीफ़्स। पोस्ट हारवेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर और कोल्ड चेन सुविधाओं को विकसित करने के लिए मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने इंटीग्रेटेड मॉडर्न फिश लैंडिंग सेन्टर्स के विकास, मैलेट बंदर फिशिंग हार्बर, अत्याधुनिक होल सेल फिश मारकेट्स, आइस प्लांट/कोल्ड स्टोरेज, फिश मारकेटिंग और फिश ट्रांसपोर्टेशन सुविधाओं के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने पीएमएमएसवाई के अंतर्गत मात्स्यिकी विकास गतिविधियों के लिए केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली के लिए 135.17 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें दीव के वनकबारा में एक स्मार्ट और इंनटीग्रेटिड फिशिंग हारबर का विकास, नए सी वीड बैंक की स्थापना, अंतर्देशीय जल कृषि, ओर्नामेंटल फिश रियरिंग इकाइयां, कोल्ड स्टोरेज, वैल्यू ऐडीड एंटरप्राइज़ यूनिट्स, रिक्रीऐशनल फिशरीस, फिश ट्रांसपोर्ट सुविधाएं, सागर मित्रों की तैनाती और मछुआरों का बीमा शामिल हैं।

मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने पीएमएमएसवाई के अंतर्गत विगत चार वर्षों (2020-21 से 2023-24) और वर्तमान वित्तीय वर्ष (2024-25) के दौरान 294.50 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश के साथ कुल 899.25 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश सरकार के मात्स्यिकी विकास प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अनुमोदित प्रमुख गतिविधियों में हैचरी की स्थापना, रियरिंग और ग्रो-आउट तालाबों का निर्माण, बायोफ्लोक तालाब, जलाशयों में फिंगरलिंग्स का भंडारण, ओरनामेंटल और रिक्रीऐशनल फिशरीज़ का विकास, री-सर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, बायोफ्लोक टैंक, जलाशयों में केज, खुले जल निकायों में पेन कल्चर, कोल्ड स्टोरेज/आइस प्लांट्स का निर्माण, रेफ्रीजिरेटिड वाहन, इन्सुलेटेड वाहन, लाइव फिश वेंडिंग सेंटर, फिश वेंडिंग के लिए ई-रिक्शा सहित आइस बॉक्स के साथ टू वीलर और थ्री वीलर, फिश फ़ीड मिल्स/प्लांट, फिश रीटेल मारकेट्स, फिश कियोस्क, फिश वैल्यू ऐड यूनिट्स, रोग निदान और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं, मत्स्य सेवा केंद्र, आजीविका और पोषण सहायता और इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क शामिल हैं।

(ग): महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र में पीएमएमएसवाई योजना के अंतर्गत तीन एमएसएमई लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

(घ) से (च): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने विगत चार वर्षों (2020-21 से 2023-24) और वर्तमान वर्ष (2024-25) के दौरान प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को 8926.28 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश के साथ 20,990.79 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। विगत चार वर्षों (2020-21 से 2023-24) और वर्तमान वर्ष (2024-25) के दौरान पीएमएमएसवाई के अंतर्गत परियोजनाओं, स्वीकृत केंद्रीय निधियों और जारी केंद्रीय निधि का राज्यवार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है। पीएमएमएसवाई के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से मूल्यांकन अध्ययन कराया गया है।

*****

अनुबंध-I

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जलकृषि पार्क के संबंध में 1 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5054 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण: प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अनुमोदित एकीकृत एक्वा पार्कों का राज्यवार विवरण

(रुपए लाख में)

क्र. सं .	**राज्य का नाम**	**वास्तविक (सं.)**	**परियोजना लागत**	**केंद्रीय अंश**
1	आंध्र प्रदेश	1	8808.00	5285.00
2	अरुणाचल प्रदेश	1	4359.04	3923.14
3	असम	1	3296.61	2966.94
4	छत्तीसगढ	1	3710.69	2226.41
5	हरियाणा	1	9890.00	4868.00
6	मध्य प्रदेश	1	2500.00	1500.00
7	नागालैंड	1	4234.99	3811.49
8	ओडिशा	1	10000.00	6000.00
9	तमिलनाडु	1	12771.00	7516.00
10	त्रिपुरा	1	4239.94	3815.95
11	उत्तराखंड	1	4450.00	4005.00
कुल		**11**	**68260.27**	**45917.93**

*****

अनुबंध- II

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जलकृषि पार्क के संबंध में 1 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5054 के भाग (घ) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण: पीएमएमएसवाई के अंतर्गत विगत पांच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं और केंद्रीय निधियों और जारी केंद्रीय निधियों का राज्यवार विवरण

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कुल परियोजना लागत	केंद्रीय अंश	जारी की गई धनराशि
(i)	(ii)	(iii)	(iii)	(v)
1	अंडमान और निकोबार	5867.10	3122.53	696.70
2	आंध्र प्रदेश	239872.67	55910.38	48211.79
3	अरुणाचल प्रदेश	20028.09	13232.27	9847.62
4	असम	53962.88	29682.11	20731.89
5	बिहार	54712.98	17365.23	7928.31
6	छत्तीसगढ	92338.45	30404.41	20569.40
7	दमन और दीव और दादर और नगर हवेली	13516.89	13243.80	178.90
8	दिल्ली	533.25	286.08	163.30
9	गोवा	11616.49	4849.74	4405.68
10	गुजरात	96068.53	29277.71	6516.70
11	हरियाणा	76086.75	26216.03	10151.73
12	हिमाचल प्रदेश	15388.15	7861.50	3813.69
13	जम्मू और कश्मीर	15019.86	7773.04	7961.80
14	झारखंड	43856.06	14818.28	11570.76
15	कर्नाटक	105634.95	36350.59	35958.72
16	केरल	135811.54	57628.59	31842.33
17	लद्दाख	3374.60	2036.76	1016.99
18	लक्षद्वीप	6763.48	4458.13	1419.12
19	मध्य प्रदेश	89925.00	29449.98	19013.71
20	महाराष्ट्र	144767.36	54426.66	27877.83
21	मणिपुर	20181.70	9584.33	2944.63
22	मेघालय	13262.36	7425.73	3596.21
23	मिजोरम	14785.80	8128.27	6347.38
24	नागालैंड	16368.38	10543.52	6709.46
25	ओडिशा	113867.60	46425.75	25983.27
26	पुदुचेरी	33866.46	22996.05	5713.91
27	पंजाब	16792.95	4514.79	2476.27
28	राजस्थान	7095.14	2372.65	864.12
29	सिक्किम	7827.43	4681.43	3300.05
30	तमिलनाडु	115284.67	44535.55	13631.12
31	तेलंगाना	34117.09	10842.16	9582.93
32	त्रिपुरा	25862.81	14762.41	5859.84
33	उत्तर प्रदेश	129432.10	41230.99	28911.70
34	उत्तराखंड	32297.07	16667.37	8780.37
35	पश्चिम बंगाल	54439.43	22554.70	5075.97
36	अन्य (ट्रांसपोंडर, आदि)	36400.00	21840.00	0.00
35	केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं	200052.82	163095.20	67426.90
कुल क+ख		**2099078.88**	**892628.55**	**467081.07**

*****